[illegible]
नालिश फाइल की
गई है।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

पत्रावली पेश हुई। [illegible] 18.12.24
[illegible]
[illegible]

3.12.24

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

18.12.24 मुकदमी संख्या हुई नवीन प्रार्थी उपस्थित।
मुकदमी अंतर्गत नालिश के लिये 17.1.25
नियत हो।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

17.1.25 मुकदमी संख्या हुई नवीन प्रार्थी एवं प्रार्थी पक्ष
के वकील काबाज हिसाबहिराडे, न्यायालय
समन्स तामील नहीं करा पुनः पत्र अंकन
पोस्ट व अंकन हाजरी में पारित किया जाता
पुनः हुई इकलिए पुनः सम्मन पत्र नं. 212
212 RT Act के तहत चलाए जाने का बाद
औचित्य नहीं है अतः सम्मन पत्र नं. 212
212 RT Act प्रार्थी अंकन पोस्ट व अंकन
हाजरी में पारित किया जाता है। मुकदमी
अधिनियम प्रमाण होकर कार्यवाही S.I.Act
समाप्त हो। विशेष कार्यवाही नियत 17.1.25
को पुनः न्यायालय में सुनाया जाता।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner